तारीख जाहिरा हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर** **प्रकरण संख्या– 06/2017** **विनोद बनाम विनय वगैरह**	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

दिनांक–25.08.2025

अधिवक्तागण वादीगण व प्रतिवादीगण उपस्थित।। प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा जरिये मुख्त्यार विकास पौद्दार प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13 नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता पर उभयपक्ष को सुना जा चुका है।

बहस के दौरान प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुए तर्क दिया गया कि इस प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा अपने लिखित कथन में वादग्रस्त संपत्ति के संदर्भ में चल रहे विभाजन के बाद शीर्षक सज्जन गोपाल बनाम श्रीकृष्ण का उल्लेख किया गया है जो कि न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सीकर के समक्ष विचाराधीन था तथा निर्णय दिनांक 08.09.1994 को हो चुका है। उपर्युक्त प्रकरण में प्रार्थीगण के पक्षकार नहीं होने से न्यायालय द्वारा पारित डिक्री प्रार्थीगण पर लागू नहीं है किन्तु उपर्युक्त निर्णय एवं डिक्री के संदर्भ में प्रतिवादीगण द्वारा अपनी प्रतिरक्षा का आधार बनाया गया है। ऐसी स्थिति में उपर्युक्त पत्रावली को तलब किया जाना आवश्यक है जिससे प्रकरण में युक्तियुक्त विनिश्चय किया जा सके। अतः हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद संख्या 82/1987 शीर्षक सज्जन गोपाल बनाम श्रीकृष्ण निर्णय दिनांक 08.09.1994 को तलब किया जावे।

उपर्युक्त तर्कों के खण्डन में अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा तर्क दिया गया है कि वांछित पत्रावली के संबंध में प्रारंभिक डिक्री पारित की जा चुकी है किन्तु अंतिम डिक्री पारित नहीं की गई है जिससे पत्रावली विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित है। इसके अतिरिक्त उपर्युक्त पत्रावली से सुसंगत दस्तावेज स्वयं प्रार्थीगण भी पेश करने में सक्षम है साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपने मूल वाद में उपर्युक्त पत्रावली के दस्तावेजों का कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में हस्तगत आवेदन अस्वीकार कर खारिज किया जावे।

सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि मूल वाद विक्रय पत्र को शून्य घोषित करवाये जाने से संबंधित होकर साक्ष्य वादीगण के स्तर पर है तथा वादी साक्षी विवेक पौदार के उपस्थित आने पर प्रार्थीगण द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जबकि प्रार्थना पत्र में वांछित पत्रावली में विचारण न्यायालय में सन 1994 में प्रारंभिक डिक्री पारित हो जाने का तथ्य उभयपक्ष द्वारा स्वीकृत है जिससे प्रार्थीगण स्वयं उपर्युक्त पत्रावली के आवश्यक व सुसंगत दस्तावेज विचारण न्यायालय द्वारा प्राप्त किये जा सकते थे किन्तु प्रार्थीगण द्वारा इन सुसंगत दस्तावेजों को प्राप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है एवं ना ही हस्तगत प्रार्थना पत्र में यह स्पष्ट किया गया है कि वे कौनसे दस्तावेज हैं जिनको वे हस्तगत प्रकरण में सुसंगत मानते हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित होने व प्रार्थीगण स्वयं सुसंगत दस्तावेजों को पेश करने में सक्षम होने के कारण बिना किसी विशिष्ट सुसंगत दस्तावेज का उल्लेख किये अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय द्वारा हस्तगत पत्रावली को तलब किया जाना उचित नहीं पाया जाता है एवं प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण सं. 2 से 4 द्वारा प्रस्तुत हस्तगत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 13

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज.

तारीख हुक्म	हुक्म या कायर्वाही मय इनिशियल जज	नंबर व ताराख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए

न्यायालयः अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश फतेहपुर जिला सीकर

प्रकरण संख्या– 06/2017

विनोद बनाम विनय वगैरह

नियम 10 सपठित धारा 151 सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र से पत्रावली के विचारण में कारित विलम्ब के लिए प्रार्थीगण पर 500/–रूपये कोस्ट अधिरोपित की जाती है जो प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थीगण/वादीगण को देय होगी।

पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत है तथा उभयपक्ष द्वारा जाहिर किया गया है कि साक्षी बोम्बे से साक्ष्य देने हेतु आयेगा ऐसी स्थिति में साक्ष्य हेतु आगामी तारीख 08.09.2025 नियत की जावे। अतः उभयपक्ष के निवेदन पर न्यायहित में पत्रावली में आगामी तारीख साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 08.09.2025 नियत की जाती है।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादीगण हेतु दिनांक 08.09.2025 को पेश हो।

दि. 08.09.2025

अपर जिला न्यायाधीश
फतेहपुर-शेखावाटी (सीकर) राज